न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, भेपाल।

R- 1572- I/13

मेसर्स पुण्यशिला आटो मोवाईल
इब्राहिम चौक होशंगाबाद मार्फत–
भागीदार प्रीतमसिंह रघुवंशी आ.
हजारीलाल रघुवंशी निवासी
होशंगाबाद तह.जिलाहोशंगाबाद-----------------------आवेदक/अपीलार्थी।

बनाम

1–म.प्र. राज्य मार्फत–
कलेक्टर महोदय होशंगाबाद।

2–कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं
पंजीयक महोदय होशंगाबाद
कलेक्टर कार्यालय होशंगाबाद------------------अनावेदकगण/उत्तरवादीगण।

17/4/13

पुनरीक्षण याचिका धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अर्न्तगत।

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका प्रकरण क्र. 232/अ/2011–12 पक्षकार मेसर्स पुण्यशिला आटो मोवाईल बनाम म.प्र.राज्य व अन्य में आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग,होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनांक–21.3.2013 से व्यथित हाकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

आवेदक के द्वारा आयुक्त महोदय के समक्ष प्रथम अपील प्रकरण क्र. 11/बी/105 वर्ष2010–2011 पक्षकार कलेक्टर महोदय बनाम मेसर्स पुण्य शिला आटो मोवाईल में पारित आदेश दिनांक 14/2/12 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई थी, चूंकि आयुक्त महोदय के द्वारा प्रस्तुत अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु

13.2.2015	यह प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनर्स्थापित किया गया था कि आवेदक नियत पेशी दिनांक 26.3.2014 को खर्चे की राशि रुपये 500/- जमा कर रसीद प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आज दिनांक तक राशि जमा कर रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः पुनर्स्थापन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11.2.2014 का पालन नहीं करने से प्रकरण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.